न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या-03/2021

अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3

सरकार

बनाम

मो0 आजम, पे0-जियाबुल मिस्त्री, सा0-खाबदह, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
21.09.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 112/डी0सी0बी0, दिनांक 29.04.2021) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,फारबिसगंज के प्रस्ताव (पत्रांक 1598/अनु0, दिनांक 28.04.2021) के आधार पर मो0 आजम, पे0-जियाबुल मिस्त्री, सा0-खाबदह, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। पुलिस अधीक्षक,अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 112/डी0सी0बी0, दिनांक-29.04.2021) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि मो0 आजम, पे0-जियाबुल मिस्त्री, सा0-खाबदह, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया एक सकिय अपराधकर्मी है। इनका आचरण संदिग्ध है तथा अपराधिक रूप से सकिय है। इनके द्वारा मौका मिलते ही लोक शांति भंग किये जाने की संभावना है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। इनके व्यवहार से समाज में काफी भय व्याप्त है। ये चोरी छुपे अपराधिक घटना को अंजाम देते है। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव-2021 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने आपराधिक पृष्टभूमि के कारण लोगों के बीच भय का माहौल बनाकर कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर सकते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था भंग होने की पुरी संभावना है। मो0 आजम का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. नरपतगंज थाना कांड सं0-242/10, दिनांक-05.11.10, धारा-395 भा0द0वि0, आरोप पत्र सं0-273/11, दिनांक-19.08.11 2. फारबिसगंज (सिमराहा) थाना कांड सं0-142/09, दिनांक-06.07.09, धारा-414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट, आरोप पत्र सं0-477/09, दिनांक-29.11.19 3. अररिया थाना कांड सं0-08/11, दिनांक-01.01.11, धारा-379/411 भा0द0वि0। अररिया जिला में बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी मो0 आजम, पे0-जियाबुल मिस्त्री, सा0-खाबदह, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा-3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है। उक्त के आलोक में आरोपी/अपराधकर्मी मो0 आजम को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। विपक्षी को अंतिम मौका भी दिया गया बावजूद विपक्षी अनुपस्थित है। पुकार पर भी विपक्षी अनुपस्थित। स्पष्ट है कि विपक्षी को उक्त वाद में कुछ कहना नहीं है। न्यायालय में उपस्थित विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया को सुना। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया का मुख्य कथन है कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज कांडो की प्रकृति गंभीर है। विपक्षी द्वारा नरपतगंज थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया गया है। विपक्षी द्वारा आगामी बिहार पंचायत चुनाव, 2021 में स्थानीय स्तर पर धांधली एवं विधि व्यवस्था उत्पन्न करने तथा विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में हुड़दंग मचाने की पूर्ण संभावना है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त प्रस्ताव सही है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अंतर्गत जिला बदर करने का आदेश पारित किया जाय। विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक, अररिया के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम- 1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित	

21.09.2021

में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरूद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि **मो0 आजम दिनांक-27.09.2021 के पूर्वाह्न से दिनांक 26.10.2021 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में तीन दिन (बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार) फारबिसगंज थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, फारबिसगंज** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव, 2021 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न हीं किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही लिखित में यह भी बतायेंगे कि मतदान की तिथि को कितने बजे किस रास्ते से घर से मतदान केन्द्र तक जायेंगे एवं किस रास्ते से मतदान केन्द्र से घर आयेंगे।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2206/विधि, दिनांक 25-9-2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नरपतगंज थाना एवं थानाध्यक्ष, फारबिसगंज को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2206/विधि, दिनांक 25-9-2021

प्रतिलिपि : श्री मो0 आजम, पे0-जियाबुल मिस्त्री, सा0-खाबदह, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।